

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवार्यें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई/चिअ/बी-221/2024/ दिनांक :

—: संशोधित आदेश :—

डॉ० भानुप्रिया शर्मा, चिकित्सा अधिकारी का इन सर्विस कोटे से उच्च अध्ययन हेतु निदेशालय के आदेश क्रमांक 32 दिनांक 02.02.2021 के द्वारा दिनांक 26.08.2020 से 25.08.2023 तक अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया था में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 59 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में उक्त अवधि के अध्ययन अवकाश के साथ प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाकर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

1. दिनांक 26.08.2020 से 03.01.2021 तक का अध्ययन अवकाश।
2. दिनांक 04.01.2021 से 02.07.2021 तक (180 दिवस) प्रसूति अवकाश।
3. दिनांक 03.07.2021 से 25.08.2023 तक का अध्ययन अवकाश।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें
राजस्थान, जयपुर।
दिनांक : 3-5-2024

क्रमांक : ई/चिअ/बी-221/2024/99

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, जोन।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, महात्मा गॉंधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अवकाश वेतन का समायोजन अंतिम रूप से स्वीकृत अवकाशों के वेतन से कर लिया जाएगा अर्थात् यदि अवकाश वेतन के रूप में राशि का भुगतान अधिक कर दिया हो तो वह वसूल की जाएगी अथवा कोई राशि देय बनती है तो भुगतान किया जावेगा।
4. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, ए.टी.सी./डीपीसी/पीजी (राजपत्रित), मुख्यालय।
6. डॉ. भानुप्रिया शर्मा, चिकित्सा अधिकारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम को संबंधित को ई-मेल हेतु।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref
6830014

Document certified by RAVI PI AS
MATHUR <rpm272004@yahoo>

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date :01-05-2024 11:04:22